रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1194] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2012/आषाढ़ 5, 1934
No. 1194] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2012/ASADHA 5, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2012

का.आ. 1424(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (रास्तपसनिप्रा), पुडुचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पुडुचेरी कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. आचार्य एम.ए. सिवाशंकरन, सिविल इंजीनियरी विभाग पुडुचेरी-605014	अध्यक्ष
2. आचार्य अनीसा बशीर खान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग, पांडुचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी-605014	सदस्य
3. निदेशक, विज्ञान विभाग, तकनीकी और पर्यावरण, पुडुचेरी सरकार	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण, पुडुचेरी के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, पुडुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हैं ।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, पुडुचेरी को सहायता के लिए पुडुचेरी राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडुचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् राविअस पुडुचेरी कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. डा. एम.पी. रामानुजम, (सेवानिवृत्त सहबद्ध आचार्य) 51. संत रोजेर स्ट्रीट, मूथिलपेट, पुडुचेरी-605003	अध्यक्ष
2. डा. जी. पोय्या मोली सहबद्ध आचार्य, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, पांडुचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी-605014	सदस्य
3. डा. आर. श्रावनाने, सहबद्ध आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पांडुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पुडुचेरी-605014	सदस्य
4. डा. टी. नाम्बीराजन, आचार्य, मैनेजमेंट स्टडीज विभाग, पांडुचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी-605014	सदस्य
5. डा.वी. चेल्लामुथु संकायाध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरु कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और रिसर्च संस्थान, करैकल-609603	सदस्य
6. डा.एस. गणपति वेंकटासुब्रमणयम, आचार्य, सेंटर फार पर्यावरण स्टडीज, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई-600025	सदस्य
7. डा. के.के. सिवदासन, सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी सरकारी कला विद्यालय, माहे, न्यू माहे-673311	सदस्य

8. डा. एस भैरवमूर्ति, प्राचार्य
डा. एस.आर.के. सरकारी कला विद्यालय,
यनाम -533464 — सचिव

9. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
विज्ञान विभाग, तकनीकी और पर्यावरण,
पुडुचेरी सरकार । — सचिव

5. प्राधिकरण पुडुचेरी, राविअस, पुडुचेरी की सिफारिशों पर विनिश्चय लेगा ।

6. राविअस, पुडुचेरी के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राविअस, पुडुचेरी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में संख्यांकित हैं ।

8. राविअस, पुडुचेरी, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिमावी होगा

9. पुडुचेरी सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, पुडुचेरी के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राविअस, पुडुचेरी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता पुडुचेरी सरकार के नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे ।

[फा. सं. जे-11013/51/2007-आईए-II(I)]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2012

S.O. 1424(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Puducherry (hereinafter in this notification referred to as the Authority, Puducherry) comprising of the following members, namely: -

1. Prof. M.A. Sivasankaran — Chairman
Department of Civil Engineering,
Pondicherry Engineering College,
Puducherry – 605 014

2.	Prof. Anisa Basheer Khan Department of Ecology and Environmental Sciences, Pondicherry University, Puducherry – 605 014.	Member
3.	Director, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry.	Member Secretary

2. The Chairman and members of the Authority, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the said Gazette notification.

4. The Central Government, to assist the Authority, Puducherry in consultation with the State Government of Puducherry, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee, Puducherry (hereinafter in this notification referred to as SEAC, Puducherry) comprising of the following Members, namely :-

1.	Dr. M. P. Ramanujam (Associate Professor Retired), #51, Saint Rozaire Street, Muthialpet, Pudhucherry-605003.	Chairman
2.	Dr. G. Poyya moli Associate Professor, Department of Ecology and Environment, Pondicherry University Puducherry- 605 014	Member
3.	Dr. R. Saravanane Associate Professor, Department of Civil Engineering, Pondicherry Engineering College, Puducherry – 605 014.	Member
4.	Dr. T. Nambirajan Professor, Department of Management Studies, Pondicherry University, Puducherry- 605 014	Member

5.	Dr. V. Chellamuthu Dean, Pandit Jawaharlal Nehru College of Agriculture and Research Institute, Karaikal- 609 603	Member
6.	Dr. S. Ganapathy Venkatasubramanian, Professor, Centre for Environmental Studies, Anna University, Chennai- 600 025.	Member
7	Dr. K.K, Sivadasan, Assistant Professor, Department of Botany, Mahatma Gandhi Government Arts College, Mahe, New Mahe- 673 311.	Member
8	Dr. S. Bhyravamurthy, Principal Dr. S. R. K. Government Arts College, Yanam- 533 464.	Member
9.	Senior Scientific Officer Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry	Secretary

5. The Authority, Puducherry shall take decisions on the recommendations of the SEAC, Puducherry.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Puducherry shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

9. The Government of Puducherry shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the SEAC, Puducherry and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Puducherry and the Chairman and Members of SEAC, Puducherry shall be paid in accordance with the existing rules of the Government of Puducherry.

[F. No. J-11013/51/2007-IA. II (I)]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

2317 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.